UPRB010036902026

न्यायालय प्रथम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी–श्री अनिल कुमार पंचम, (उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP6045

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1563/26

1– दिलावर सिंह उर्फ गुड्डन सिंह उम्र 52 साल पुत्र ओंकार सिंह निवासी ग्राम पूरे पहाड़ी मजरे शहजादपुर थाना ऊँचाहार, जनपद रायबरेली। ..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

1–राज्य उ०प्र० द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

..... अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या–93/2026
अं०धारा–109(1), 351(3) बी.एन.एस.
थाना–ऊँचाहार, जनपद–रायबरेली।

दिनांक–22.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **दिलावर सिंह उर्फ गुड्डन सिंह** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या–93/2026 अं०धारा–109(1), 351(3) बी.एन.एस. थाना–ऊँचाहार, जनपद–रायबरेली के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षिप्तः इस प्रकार है कि, "दिनांक 23.4.026 को धारा 170/126/135 BNS मे उभय पक्षो का चालान किया गया जिसमे लगभग सांयकालीन 6 बजे जमानत कराकर दोनो पक्ष घर लौट रहे थे प्रतिपक्षी लगातार धमकी दे दे रहा था घर पहुँचो अभी वही तुम्हारी कब्र बना देंगे घर पहुँचते ही टिंकू सिंह ने अपने भाइयों के साथ मिलकर दरवाजे बैठी प्रार्थिनी के ऊपर जानलेवा नीयत से तीन राउड गोली चला दी गोली प्रार्थिनी के कान के बगल से निकल गई प्रार्थिनी ने घर मे घुसकर किसी प्रकार अपनी जान बचाई मौके पर गांव के लोग व घर के बच्चे मौजूद थे घटना घर मे लगे सी०सी०टी०वी० कैमरे मे भी कैद हुई है चिप प्रशाशन को उपलब्ध करा दी गई है– प्रार्थिनी के के परिवार को जान माल का खतरा बना हुआ है।"

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र संक्षिप्तः इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष व्यक्ति है उसने तथाकथित अपराध कारित नहीं किया है उसे उपरोक्त अपराध में फर्जी एवं झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त व वादी एक ही परिवार के सदस्य है। जमीनी बटवारा की वजह से आपस में कहा सुनी हुई वादी ने मो0नं0– 112 में फोन कर पुलिस बुला लिया व दोनो पक्षों में वादी पक्ष को एक मुल्जिम बनाया गया एवं प्रार्थी/अभियुक्त के पूरे परिवार को धारा 170/126/135 बी०एन०एस०एस० पर पाबन्द किया गया जो जमानत पर रिहा होकर प्रार्थी/अभियुक्त प्रधान के साथ निमंत्रण में चला गया। प्रार्थी/अभियुक्त आपसी जमीनी रंजिश होने के कारण फर्जी अभियोग पंजीकृत करवाकर प्रार्थी/अभियुक्त का जीवन अन्धकार में डाल दिया जो विचारणीय बिन्दु है। उपरोक्त

पंजीकृत अपराध में कही किसी प्रकार कोई डाक्टरी परीक्षण में चोटहिल नहीं है केवल कब्जा व नुकसान करने के उद्देश्य से नामित करा दिया गया है। मात्र फर्जी अभियोग दर्ज करवाकर पूरे परिवार का नाम दर्ज अभियुक्त बनाकर प्रार्थी/अभियुक्तगण की जमीन पर कब्जा कर व फसल नष्ट करवा दिया है, जिससे प्रार्थी/अभियुक्तगण को अपूर्णनीय क्षति हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त ऐसे फर्जी पंजीकृत अपराध में माननीय न्यायालय से अनुरोध करता हूं कि पुनः ओत कमिश्नर नियुक्त कर जांच करायी जाय थाना अध्यक्ष व वादी की साजिश का षड्यन्त्र उजागर हो जायेगा। वादिनी के यहां दिनांक 22.04.2026 को जनपद–फतेहपुर से 6–7 शस्त्र धारक आये थे। प्रार्थी/अभियुक्तगणों को गाली गलौज व गांव के सम्भ्रान्त व्यक्तियों के विरूद्ध बेजा प्रभाव बनाया था। वादिनी ने ही स्वयं फायर करवाकर अभियुक्तगणों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया। जिससे सम्पूर्ण घटना कम फर्जी एवं बनावटी प्रतीत होती है। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ दिनांक 23.04.2026 को धारा 170/126/136 बी०एन०एस०एस० की जमानत लगभग शाम 7:30 बजे जो माननीय उपजिलाधिकारी ऊँचाहार रायबरेली के सी०सी०टी०वी० कैमरा में देखी जा सकती है। उपरोक्त घटना कम में कोई किसी प्रकार से बरामदगी नहीं है। घटना का कोई चक्षुदर्शी गवाह व जनता के साक्षी न होना सम्पूर्ण घटना क्रम को संदेहास्पद बनाता है। सह अभियुक्तगण की जमानत न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायालय प्रथम के यहां से दिनांक 14.05.2026 को स्वीकृत की गयी है। मात्र सी०सी०टी०वी कैमरा की फुटेज में प्रार्थी/अभियुक्त का चहेरा नहीं है मात्र थानाध्यक्ष महोदय ऊँचाहार से मिलकर अपना प्रभाव व जनबल से फर्जी नामजद किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ फर्जी धारा 109(1), 351 (3) बी०एन०एस० की कार्यवाही की गयी है जिससे जमानत में दुसवारी पैदा हो। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है सभी में जमानत पर रिहा है। प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक–23.05.2026 को निरस्त की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त का कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में न तो दिया गया है और न ही लम्बित है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी विश्वसनीय जमानते देने को तैयार है जमानत तथा मुचलके का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा किया जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अभियोजक (फौजदारी) द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा वादिनी को जान से मारने की नियत से गोली से फायर किया गया। अभियुक्त दिलावर सिंह उर्फ गुड्डन सिंह का आपराधिक इतिहास भी दाखिल किया गया है। मामला अति गंभीर प्रकृति का है। अभियुक्त जमानत पर रिहा किया गया तो जमानत की शर्तों का दुरुपयोग करने व फरार होने तथा साक्ष्य व साक्षियों को प्रभावित करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अभियोजक को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। केस डायरी संख्या –1 के पृष्ठ संख्या 10 पर वादिनी मुकदमा प्रीती सिंह द्वारा अपने धारा 180 भा०ना०सु०सं० के

बयान में कथन किया गया है कि," ..... मेरे ही पड़ोस के....के बीच सहन की भूमि व रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था इसी विवाद के कारण पुलिस वाले हम दोनों पक्षों को थाने ले गये थे और हम दोनों पक्षों का दिनांक 23.4.026 को धारा 170/126/135 बीएनएस में चालान किया गया था, जिसमे लगभग शाम 6 बजे जमानत कराकर दोनों पक्ष घर लौट रहे थे तभी प्रतिपक्षीगण लगातार धमकी दे रहे थे ..... घर पहुँचने के बाद अपने घर के बाहर नीम के पेड के नीचे मैं व मेरी सास रामलली व ननद रेखा सिंह, मेरे बेटी अंशिका सिंह व मेरा बेटा अंश सिंह चारपाई पर बैठे हुये थे। तभी विपक्षीगण टिंकू सिंह, सुधीर सिंह, आशीष सिंह पुत्रगण दिलावर सिंह व दिलावर सिंह पुत्र ओंकार सिंह ने अपने घर के बाहर से हम लोगों को ललकारते हुये जान से मारने की नीयत से हम लोगों के ऊपर तीन राउड गोली चला दी गोली मेरे कान के बगल से निकल गयी ....."

उल्लेखनीय है कि, वादिनी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। केस डायरी संख्या 1 के पृष्ठ संख्या 10 पर वादिनी मुकदमा द्वारा अपने बयान 180 बी०एन०एस०एस० में यह उल्लेख किया गया है कि, दोनों पक्षों के बीच सहन भूमि एवं रास्ते को लेकर विवाद था इसी विवाद के कारण दोनों पक्षों के विरुद्ध पुलिस द्वारा दिनांक 23.04.2026 को धारा 170, 126, 135 बी०एन०एस० में चालान किया गया था, जिसमें जमानत कराकर दोनों पक्ष घर लौट रहे थे तभी प्रतिपक्षीगण/अभियुक्तगण लगातार धमकी दे रहे थे कि घर पहुंचों अभी तुम्हारी कब्र बना देंगे हम लोग अपने घर पहुंचने के बाद, अपने घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे वह (वादिनी मुकदमा) तथा उसकी सास रामलली व ननद रेखा बेटी अंशिका व बेटा अंश चारपाई पर बैठे हुये थे तभी टिंकू सिंह, सुधीर सिंह, आशीष सिंह व दिलावर सिंह ने अपने घर के बाहर से उन लोगों को ललकारते हुए जान से मारने की नीयत से उन लोगों के ऊपर तीन राउण्ड गोली चला दिया। गोली उसके कान के बगल से निकल गयी। उन सबने अपने घर में घुसकर किसी प्रकार अपनी जान बचायी तथा इसी प्रकार चश्मदीद साक्षी रामलली, दिव्यांशू, अनिरुद्ध एवं स्वतंत्र साक्षी रमेश बहादुर सिंह, नरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा भी घटना के समर्थन में बयान में दिया गया है। केस डायरी संख्या 2 के पृष्ट संख्या 6 पर अभियुक्त दिलावर सिंह के हिस्ट्रीशीटर होने का उल्लेख किया गया है। अभियुक्त दिलावर के विरुद्ध छः मुकदमों का आपराधिक इतिहास दाखिल किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुण दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **दिलावर सिंह उर्फ गुड्डन सिंह** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या–93/2026 अं०धारा–109(1), 351(3) बी.एन.एस. थाना–ऊँचाहार, जनपद–रायबरेली के मामले में **निरस्त** किया जाता है।

(अनिल कुमार पंचम)
प्रथम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

Mohit kumar
(Stenographer)

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.06.24 07:46:38 IST
Reason: Order
Location: District and Sessions Court